

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक- ००/११/१६-०६/२०१० - ३९६ / पटना, दिनांक- 14.07.14
प्रेषक,

विपिन बिहारी मिश्र,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
निदेशक, वाल्मी
निदेशक क्रय एवं सामग्री प्रबंधन
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

विषय:- e-tendering/e-procurement प्रणाली के तहत परिमाण विपत्र (BOQ) का मूल्य तथा अग्रधन (Earnest Money Deposit) की राशि e-Payment mode में प्राप्त करने के संबंध में ।

प्रसंग:- अवर सचिव, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-277 दिनांक-15.04.2013 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार सरकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग के संकल्प ज्ञापांक-441 दिनांक-08.04.2013 द्वारा e-Procurement प्रणाली में निविदा प्रपत्र का मूल्य, बिड प्रोसेसिंग फीस तथा अग्रधन की राशि e-Payment विधि से प्राप्त किए जाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देश प्रेषित किया गया था । तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-225 दिनांक-10.04.2014 द्वारा e-tendering/e-Procurement के तहत "Bid Processing Fee" module को चालू (enable) करने तथा "Bid Processing Fee" का भुगतान online mode में किया जाना अनिवार्य किए जाने संबंधी सूचना एवं तत्संबंधित निदेश जारी किया गया ।

e-tendering/e-procurement प्रणाली में निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा अग्रधन की राशि e-Payment विधि से प्राप्त किए जाने हेतु विभागीय स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । आगामी 01.08.2014 से e-Payment पूरी तरह लागू (enable) हो जाने की संभावना है । फलस्वरूप e-Payment Mode के तहत परिमाण विपत्र का मूल्य/अग्रधन की राशि Debit Card/Credit Card/RTGS/NEFT एवं Internet Banking के माध्यम से जमा की जा सकेगी ।

e-Payment Module हेतु NIT/RFP/SBD में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है-

(क) "BSEDC Processing Fee and Form Fee/BOQ Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit Card/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS".

(ख) "Earnest Money Deposit (EMD) can be paid either through online mode or manual mode (BG, DD etc). In case of manual mode of payment of EMD, the original hard copy of the EMD which may be a DD/NSC/KVP/BG or any other

instrument that should be submitted in the tendering authority office within the next working day after tender closing date".

(ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay / Non submission of Tender/Non. Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of internet connection, Network Traffic/Holidays or any other reason".

(घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".

Online Mode में हुए भुगतान के Reconciliation के लिए Tender closing/Submission date एवं Tender Opening date के बीच न्यूनतम 48 घंटे का अंतर होना आवश्यक है ।

अतः तदनुसार ही Tender Closing/Submission एवं Tender opening date निर्धारित कर निविदा सूचना में उल्लेखित किया जाना होगा ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निदेश दिया जाता है कि भविष्य में e-tendering/e-procurement के माध्यम से जारी होने वाली निविदाओं को e-Payment के तहत ही NIT/Tender Document/SBD में उपरोक्त वर्णित तथ्यों का समावेश करते हुए प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय ।


साथ ही जो निविदा सूचनायें निर्गत की जा चुकी है उनको भी शुद्धि-पत्र (Corrigendum) जारी कर उपरोक्त तथ्यों को NIT/Tender Document/SBD में सम्मिलित करने हेतु कृपया निदेशित किया जाय ।

e-tendering/e-procurement प्रणाली में e-Payment की व्यवस्था लागू करने संबंधी प्रक्रियायें जुलाई 2014 तक पूरी हो जाना संभावित है । अतः निविदा uploading की तिथि 1 अगस्त 2014 या उसके बाद की तिथि को ही निर्धारित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय ।

आगामी सभी निविदायें एवं जिन निविदाओं की निविदा प्राप्त नहीं हुई है उन्हें भी e-Payment की व्यवस्था के तहत ही प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय । यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आज के बाद से किसी भी निविदा में BSEC processing Fee, Tender Fee/BOQ Fee एवं EMD के लिये online की भी facility देना अनिवार्य होगा । अतः तदनुसार जो निविदायें प्रकाशित भी हो चुकी हैं उनमें तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करना एवं तिथि परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ।

इसमें किसी प्रकार की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी ।


विश्वासभाजन,


(विपिन बिहारी मिश्र)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

ज्ञाप सं०:- 396 /पटना, दिनांक-14.07.14


प्रतिलिपि-सभी अभियंता प्रमुख/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी संयुक्त निदेशक/
सभी उप निदेशक/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(विपिन बिहारी मिश्र)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

ज्ञाप सं०:- 396 /पटना, दिनांक-14.07.14


प्रतिलिपि-क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास
अभिकरण, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(विपिन बिहारी मिश्र)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

ज्ञाप सं०:- 396 /पटना, दिनांक-14.07.14

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


(विपिन बिहारी मिश्र)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।